न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी –आशीष कुमार आर.ए.एस.

प्रथम प्रकरणः–

प्रकरण संख्या –14/2018

बंगाली पुत्र बिहारीलाल जाति ठाकुर निवासी ग्राम खूबीपुरा तहसील व जिला धौलपुर———————————————————————————प्रार्थी

बनाम

1. रामकली पत्नी रामभरोसी जाति ठाकुर निवासी ग्राम विन्तीपुरा तहसील व जिला धौलपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर ——————————अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितिः– श्री बिज्जोलाल शर्मा प्रार्थी की ओर से
श्री अशोक सक्सैना अप्रार्थी की ओर से

द्वितीय प्रकरणः–

प्रकरण संख्या –73/2019

सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर———————————————————प्रार्थी

बनाम

रामकली पत्नी रामभरोसी जाति ठाकुर निवासी ग्राम विन्तीपुरा तहसील व जिला धौलपुर
————————————————————————————————अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र वास्ते निरस्त कराने तरमीम

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (धौलपुर) राज०

दिनांकः–29.11.2019

निर्णय

उपरोक्त दोनो प्रकरणो के तथ्य एंव चाहा गया अनुतोष समान होने के कारण इन दोनो प्रकरणो का निस्तारण इस एक निर्णय से किया जा रहा है।

प्रथम प्रकरण प्रार्थी की ओर से अधीन धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत आराजी खसरा नम्बर 2029/136 रकवा 6 बीघा ग्राम खूबीपुरा तहसील व जिला धौलपुर के सम्बन्ध में इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 136 ग्राम खूबीपुरा तहसील व जिला धौलपुर का बडा नम्बर है जिसमे से कई लोगो को भूमि आवटंन किया गया है तथा विभिन्न लोगो को आवंटित भूमि के पृथक पृथक बटा नम्बर राजस्व अभिलेख या खसरा खातेदारी एंव जमाबन्दी कायम किये गये है। प्रार्थी के नाम आवटिंत की गई 6 बीघा भूमि का नम्बर 2029/136 कायम किया गया तथा अप्रार्थी को आवंटित भूमि का खसरा नम्बर 1966/136 रकवा 3 बीघा कायम किया गया। प्रार्थी का यह आवटंन पुराने

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

कब्जे के आधार पर किया गया है। खसरा नम्बर 136 में मौके पर जिस स्थान पर प्रार्थी का कब्जा है उस स्थान पर हल्का पटवारी को प्रार्थी के नाम आवटिंत भूमि का खसरा नम्बर 2029/136 नक्शा अक्स में दर्ज करना चाहिए था परन्तु अप्रार्थी ने हल्का पटवारी से साज करके प्रार्थी के कब्जा वाले स्थान पर नक्शा अक्स में खसरा संख्या 1966/136 दर्ज करा लिया जो गलत है तथा नक्शा अक्स संशोधन का मुहताज है। नक्शा अक्स में जिस स्थान पर खसरा नम्बर 1966/136 अंकित है उस स्थान पर प्रार्थी का आधिपत्य है अप्रार्थी का आज दिनांक तक कब्जा नही रहा है। दिनांक 6.6.18 को नायब तहसीलदार मनियां के आदेश से नक्शा अक्स में अंकित खसरा नम्बर 1966/136 की पैमाइश मौके पर की गई जो जिस स्थान पर खसरा नम्बर 1966/136 दर्ज है उस स्थान पर प्रार्थी पूरन पुत्र गिरधारी जाति नाई, नारायन पुत्र हेमसिंह गुर्जर ग्राम खूबीपुरा तथा विजयसिंह पुत्र कमल सिंह जाति ठाकुर निवासी गढी जवाहर का आधिपत्य पाया गया। मौके पर अप्रार्थी का कब्जा नही पाया गया। अतः प्रार्थी की खातेदारी के खसरा नम्बर 2029/136 की तरमीम नक्शा अक्स में मौके पर कब्जा के अनुसार कराई जावे तथा नक्शा अक्स में अंकित खसरा नम्बर 1966/136 को कलमजद किया जावे तथा उसके स्थान पर खसरा नम्बर 2029/36 अंकित कराया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री अशोक सक्सैना एडवोकेट उपस्थित हुए।

अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 1966/136 रकवा 3 बीघा भूमि आवटिंत होना स्वीकार है उत्तरदाता को जिस जगह भूमि आवंटित की गई थी आवटंन के बाद से उक्त जगह पर काबिह होकर काश्त कर रही है। हल्का पटवारी ने राजस्व नक्शे में उत्तरदाता के आराजी के बावत जो तरमीम की गई थी वह मौके एंव रकवे के अनुसार की गई जो कि सही व दुरूस्त है। खसरा नम्बर 1966/136 वाके ग्राम खूबीपुरा उत्तरदाता के स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी है। तथाकथित पैमाईश के बावत उत्तरदातागण को किसी प्रकार की कोई जानकारी नही है ना ही उत्तरदातागण की मौजूदगी में कोई पैमाइश विवादित आराजी की गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

तहसीलदार धौलपुर ने एक पत्रांक 2617 दिनांक 11.11.19 इस आशय का प्रस्तुत किया कि न्यायालय में विचाराधीन वाद बंगाली बनाम रामकली का तरमीम निरस्त करवाने बावत विचाराधीन है जिसमें वादी बंगाली पुत्र विहारी एंव प्रतिवादी रामकली पत्नि रामभरोसी को समझाइश कर बताया गया कि आपसी सहमति से प्रकरण का निपटारा करें तो उभयपक्ष आपसी रजामंदी से प्रकरण के निस्तारण हेतु सहमत हो गये तथा उभयपक्षो के समक्ष हल्का पटवारी द्वारा मौका पर्चा तैयार किया गया तथा नक्शा ट्रेस पर वर्तमान तरमीम एंव नई प्रस्तावित तरमीम तैयार कर दोनो पक्षो के हस्ताक्षर पटवारी ने अपने समक्ष करवाये तथा इसी सन्दर्भ में पुरानी तरमीम को निरस्त कर नई प्रस्तावित तरमीम करवाने हेतु दोनो पक्षो द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये है। अतः पुरानी तरमीम निरस्त कर नई प्रस्तावित तरमीम किया जाना उचित होगा।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल मौका पर्चा दिनांक 6.6.18, नकल नक्शा अक्स, जमाबन्दी ग्राम खूबीपुरा सम्वत् 2072– 75 पेशी की।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज)

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी ने अपने जवाब के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही की।

तहसीलदार धौलपुर ने अपने पत्र के साथ मौका पर्चा दिनांक 6.11.2019, पुरानी तरमीम का नक्शा ट्रेस, नई प्रस्तावित तरमीम का नक्शा ट्रेस, शपथ पत्र बंगाली व रामकली पेश किया।

द्वितीय प्रकरण तहसीलदार धौलपुर ने पटवारी हल्का की इस रिपोर्ट के साथ पेश किया कि ग्राम खूबीपुरा के आ.ख.नं. 136 रकवा 123–06 में डीआएलआरएमपी के तहत कुल 39 तरमीम होनी है जिसमें से ख.नं. 1966/136 की तरमीम पूर्व से हो रही है इसके अलावा अन्य किसी ख.नं. की तरमीम नही हो रही है। इस बावत पुराने रिकॉर्ड का अवलोकन किया जिसमें किसी भी तरमीम का नजरी नक्शा उपलब्ध नही मिला तरमीम बावत मौका देखा गया तो ख.न. 1966/136 की तरमीम मोके अनुसार गलत जगह पर हो रही है। मौके पर उपस्थित ने बताया कि इस बावत वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर में विचाराधीन है। अतः तरमीम को निरस्त किये जाने हेतु प्रकरण पेश किया। जिसे प्रथम प्रकरण के साथ कन्सोलीडेट किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रथम प्रकरण में प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीया संख्या 01 द्वारा तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रस्तावित नई तरमीम हेतु सहमति बावत शपथ पत्र पेश किया है अतः वर्तमान तरमीम को निरस्त कर तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रस्तावित नई तरमीम अनुसार तरमीम कर दी जावे।

अप्रार्थी रामकली के विद्वान अभिभाषक ने प्रथमतः जवाब में अंकित तथ्यो को दोहराया गया तत्पश्चात् अप्रार्थी रामकली के द्वारा नई प्रस्तावित तरमीम हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत कर सहमति प्रदान किये जाने के कारण कोई आपत्ति नही होना कथन किया।

उभयपक्ष की सहमति, पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एंव तहसीलदार धौलपुर की अनुशषा अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1966/136 ग्राम खूबीपुरा की वर्तमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रस्तावित तरमीम अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिया जाना उचित समझते है।

अतः आराजी खसरा नम्बर 1966/136 ग्राम खूबीपुरा की वर्तमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रस्तावित तरमीम अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रस्तावित नई तरमीम का नक्शा ट्रेस निर्णय का भाग रहेगा, जो निर्णय के साथ संलग्न रहे। तहसीलदार को निर्णय प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावे। उपरोक्त दोनो पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर